रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73

REGISTERED NO D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14, 1976 (श्रावण 23, 1898)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14, 1976 (SRAVANA 23, 1898)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	577
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1323
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर विनियमों, नियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1097
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2143
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2729
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	311
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	6997
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	673
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	51
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1667
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	127

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	577
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1323
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1097
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2143
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2729
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	311
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	6997
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	673
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.	51
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1667
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	127

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 1976

सं०-56 प्रेज/76—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री चन्द्र शेखर मुखर्जी,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला बर्दवान,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

29 दिसम्बर, 1974 को दोपहर के लगभग दो बजे श्री चन्द्र शेखर मुखर्जी एक कुख्यात डाकू को पकड़ने के लिये जिला बर्दवान के निधा बाजार में गये । वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि डाकू एक होटल के सामने घूम रहा है । जैसे ही मुखर्जी उसकी तरफ बढ़े डाकू एकदम पलटा और उसने श्री मुखर्जी पर एक गोली चला दी, लेकिन निशाना चूक गया । श्री मुखर्जी ने भी अपने रिवाल्वर से एक गोली चलाई जिससे डाकू के दायें हाथ पर चोट लगी । इस पर डाकू दौड़कर निधा कोयला खान घोवरा के एक क्वार्टर में घुस गया और दरवाजा अन्दर से बन्द कर लिया । पुलिस दल ने उस डाकू का पीछा किया और उक्त क्वार्टर को घेर लिया । जब बार-बार चेतावनी दिये जाने के बावजूद डाकू बाहर नहीं आया तो श्री मुखर्जी ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए दरवाजा तोड़ दिया और उसको भरी हुई रिवाल्वर समेत गिरफ्तार कर लिया ।

इस प्रकार श्री चन्द्र शेखर मुखर्जी ने बड़े साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 29 दिसम्बर, 1974 से दिया जाएगा ।

सं० 57-प्रेज/76—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री थांजम करुणामय सिंह,
डिप्टी कमांडेंट,
पहली बटालियन, मणिपुर राइफल्स,
इम्फाल ।

श्री आदाहो खोली माओ,
पुलिस निरीक्षक, पुलिस विभाग,
इम्फाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

7 फरवरी, 1973 को सशस्त्र विरोधियों के एक गिरोह ने एक सरकारी जीप को, जो लगभग 97,000 रुपये ले जा रही थी, लूट लिया तथा लूट के माल को लेकर घने जंगलों में भाग गये । जब मामले की रिपोर्ट पुलिस उपनिरीक्षक आदाहो खोली माओ को की गई तो उन्होंने मामले को दर्ज किया तथा एस० डी० पी० ओ० श्री थांजम करुणामय सिंह सहित तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचे । उन्होंने सूचना के आधार पर डाकुओं के सन्देहास्पद गुप्त-स्थानों पर छापे मारे और 10,000 रुपये बरामद किये । उसके बाद वे 9,000 रुपये और बरामद करने में सफल हुए । 19 फरवरी को उन्हें जंगल में डाकुओं के गिरोह की गतिविधियों के बारे में सूचना प्राप्त हुई । क्योंकि कुमुक प्राप्त करने के लिए समय नहीं था अतः ये दोनों ही अधिकारी उस स्थान की ओर चल दिये । 3 घंटे जंगल में चलने के बाद उन्होंने विरोधियों के एक गिरोह को एक झोंपड़ी के निकट आराम करते हुए देखा । ये अधिकारी पेट के बल रेंग कर गए और गिरोह पर अकस्मात हमला करके उन्हें घबराहट में डाल दिया । यद्यपि डाकू बचकर भाग निकलने में सफल हो गए परन्तु वे लूट का माल अपने साथ नहीं ले जा सके । उस स्थान से, जहां पर डाकू ठहरे हुए थे, 70,000 रुपये नकद और कुछ गोलाबारूद बरामद किया गया ।

इस प्रकार श्री थांजम करुणामय सिंह तथा आदाहो खोली माओ ने उत्कृष्ट वीरता, दृढ़-संकल्प और उच्चकोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 फरवरी, 1973 से दिया जाएगा ।

सं० 58-प्रेज/70—राष्ट्रपति केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री गोवर्धन सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
23वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल,
मिजोरम ।

श्री अम्बिका नाथ,
हैड कास्टेबल,
23वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल,
मिजोरम ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

21 जुलाई, 1975 को विरोधियों के सामरिक मुख्यालय के स्थान के बारे में सूचना प्राप्त हुई । उक्त स्थान पर छापा मारने के लिये एक योजना तैयार की गई और इसके लिये केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल की एक टुकड़ी भेजी गई । इस कालम के अग्रिम भाग पर जिसका उपनिरीक्षक गोवर्धन सिंह नेतृत्व कर रहे थे, स्वचालित हथियारों से गोलाबारी होने लगी । जिसके परिणामस्वरूप हैड कास्टेबल अम्बिका नाथ जख्मी हो गये । लेकिन इससे पुलिस दल का उत्साह कम नहीं हुआ और उन्होंने जवाब में गोली चलानी शुरू कर दी । यद्यपि ये टुकड़ी मुख्य दल से अलग हो गई थी तथापि उसने सामरिक मुख्यालय पर निश्चयात्मक आक्रमण किया तथा 7 स्वचालित हथियार, एक 303 राइफल, 1779 राउंड गोला बारूद और महत्वपूर्ण कागजात बरामद किये । उन्होंने एक मुख्य भूमिगत विरोधी को भी गिरफ्तार किया । हैड कास्टेबल श्री अम्बिका नाथ ने गोली से घायल होने के बावजूद आक्रमण में भाग लिया । उन्होंने एक ब्रेनगन को सभाला तथा विरोधियों पर गोली चलाई जिससे लाचार होकर उन्हें पीछे हटना पड़ा और वे जान बचाकर भाग गये ।

इस मुठभेड़ में श्री गोवर्धन सिंह तथा श्री अम्बिका नाथ ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 21 जुलाई, 1975 से दिया जायेगा ।

सं० 59-प्रेज/76—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गगा सिंह,
कास्टेबल सं० 299,
जिला सीधी,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

22 जनवरी, 1975 को थाना मझोली के क्षेत्रीय पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस टुकड़ी को एक कुख्यात डाकू तथा उसके साथी को पकड़ने के लिये भेजा गया था । 25 जनवरी 1975 को दोनों डाकू ग्राम खारपा के निकट एक जंगल में छुपे लिये गये पुलिस को देखकर डाकुओं ने एक ट्रक में बचकर भागने का प्रयास किया । पुलिस ने उनका पीछा किया और उनमें से एक को पकड़ लिया । दूसरा डाकू घने जंगल में भाग गया । खतरे की परवाह न करते हुए श्री गगा सिंह ने लगभग दो किलोमीटर तक डाकू का पीछा किया परन्तु जैसे ही वह उसे पकड़ने वाले थे, डाकू ने अपनी देशी पिस्तौल से गोली चला दी । गोली का निशाना चूक गया । श्री गगा सिंह ने अविचलित रहते हुए डाकू का पीछा जारी रखा और अन्त में उसे गोली से मार दिया ।

इस मुठभेड़ में श्री गगा सिंह ने उत्कृष्ट वीरता, असाधारण साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जनवरी, 1975 से दिया जाएगा ।

सं० 60-प्रेज/76—राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री निशी कान्त बिस्वास,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
नादिया,
पश्चिम बंगाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

27 अगस्त, 1974 को काफी रात गये पुलिस सहायक उप-निरीक्षक श्री निशी कान्त बिस्वास को यह सूचना मिली कि कुछ उग्रवादी ताहेरपुर के एक मकान में जमा हैं । कुमुक के पहुंचने की प्रतीक्षा न करते हुए श्री बिस्वास उपलब्ध पुलिस दल की एक टुकड़ी के साथ उग्रवादियों के छिपने के स्थान की ओर गये और मकान को घेर लिया । उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोली चला दी । जिसका पुलिस ने तुरन्त जवाब दिया । इस पर उग्रवादियों ने अंधेरे की आड़ में बचकर भाग निकलने का प्रयास किया । श्री बिस्वास ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादियों पर धावा बोल दिया और उनमें से दो को हथियार, गोलाबारूद तथा कागजात सहित सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया ।

इस मुठभेड़ में श्री निशी कान्त बिस्वास ने अनुकरणीय साहस तथा उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27 अगस्त, 1974 से दिया जाएगा ।

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 जुलाई 1976

सं० 13019/9/76-ए० एन० एल०—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की समय-समय पर संशोधित तारीख 24 अगस्त, 1972 की अधिसूचना संख्या 26/3/71-ए० एन० एल० के पैरा 3(2), 3(3) और 4(6) के अनुसरण में, राष्ट्रपति, निम्नलिखित तीन सदस्यों को संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से संबद्ध सलाहकार समिति में 31 मार्च, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए मनोनीत करते हैं :—

1. स्ट्रट आइलेंड के श्री लोका,
2. कटचल की श्रीमती मरियम और
3. ग्रेट निकोबार के श्री गुरुबचन सिंह मट्टू

आर० एल० परदीप, निदेशक

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1976

संकल्प

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 जी और 25 के अंतर्गत जारी किए गए सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1957 के अनुसार देश में सीमेंट के मूल्य तथा वितरण पर 1 जनवरी, 1968 से पुनः नियंत्रण लगा दिया गया। सीमेंट नियंत्रण आदेश के अंतर्गत वितरण कार्य चालू रखने के लिए शुरू में भारतीय सीमेंट निगम को सीमेंट नियंत्रक का दायित्व दिया गया था। किन्तु जैसाकि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 25 में माना गया है निगम को सीमेंट नियंत्रक नहीं नियुक्त किया जा सकता क्योंकि निगम न तो कोई अधिकारी है और न ही कोई प्राधिकरण, अतः यह निश्चय किया गया कि औद्योगिक विकास मंत्रालय में सीमेंट उद्योग का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव को उनके सामान्य कार्यों के अलावा 25 सितम्बर, 1968 से सीमेंट नियंत्रक भी नियुक्त किया जाए। सुविधा तथा कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए यह भी निश्चय किया गया कि सीमेंट नियंत्रण आदेश के अंतर्गत स्थापित सीमेंट विनियमन खाते का रखरखाव सीमेंट निगम इस शर्त पर करता रहेगा कि लेखा कार्य तथा सीमेंट नियंत्रण आदेश के परिपालन का कार्य देखने वाले अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी पूर्णरूप से सीमेंट नियंत्रक के अधीन होंगे तथा इस व्यवस्था पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए निगम कह सकता है। इस प्रकार इस व्यवस्था के अंतर्गत सीमेंट नियंत्रण प्रभाग (कंट्रोल डिवीजन) में कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी काम की दृष्टि से सीमेंट नियंत्रक के अधीन रहेंगे किन्तु वे भारतीय सीमेंट निगम के प्रशासनिक नियंत्रण में होंगे।

2. सीमेंट निगम द्वारा स्वयं सीमेंट का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिए जाने के संदर्भ में सीमेंट कंट्रोल डिवीजन को सीमेंट निगम के प्रशासनिक नियंत्रण से अलग करने तथा इस संगठन को स्टेटस प्रदान करने का प्रश्न कुछ समय से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। अब यह सीमेंट नियंत्रण संगठन को भारत के राजपत्र में अलग से घोषित की जाने वाली तिथि से अलग अस्तित्व वाले भारत सरकार के गैर सहभागी सम्बद्ध कार्यालय के रूप में संगठित करने का निश्चय किया गया है।

3. संशोधित पदनामों और संशोधित व्यवस्था में ग्राह्य वेतनमानों तथा विभिन्न पदों पर विद्यमान कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं आदि का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

4. अनुबंध में दी गई प्रक्रिया के अनुसार इस संशोधित व्यवस्था में समाहृत किए गए विद्यमान कर्मचारी प्रारंभ में सीमेंट नियंत्रण संगठन में कार्य करेंगे तथा उन पर इसी वर्ग के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमों तथा विनियमों से विनियमित होंगे। भविष्य में होने वाली नियुक्तियों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नियम बनाए जायेंगे और साधारणतया ये अन्य सरकारी संगठनों के नियुक्ति नियमों के समान होंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी संबंधितों को भेजी जाए तथा भारत के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया जाए।

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव

अनुबन्ध

सीमेंट कन्ट्रोल डिवीजन के विद्यमान कर्मचारियों को मोटतौर पर निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है :—

(1) सीमेंट कन्ट्रोल डिवीजन में नियुक्त सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया के कर्मचारी;

(2) अन्य सरकारी विभागों/कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी;

(3) कन्ट्रोल डिवीजन में अल्पकालीन करार के आधार पर नियुक्त अन्य कर्मचारी।

विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के साथ निम्नलिखित रूप में व्यवहार किया जायेगा :—

(क) ऊपर बताई गई श्रेणी (I) और (II) में आने वाले कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जायेगा तथा उनसे सरकारी वेतन और भत्ते को स्वीकार करने के विकल्प के बारे में पूछा जायेगा। चूंकि उनका नये कार्यालय में समाहृत किया जाना संघ लोक सेवा आयोग अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण की जांच के प्रसंग के मामले के अनुसार होगा। जांच का परिणाम मालूम होने की तिथि के दो माह के भीतर कर्मचारियों को इस प्रकार का अपना विकल्प देना होगा। सरकारी वेतनमान के लिये सहमति न देने वालों को ऊपर बताई गई दो महीने की अवधि समाप्त हो जाने पर उनके मूल कार्यालयों को वापस कर दिया जायेगा। इस दौरान उन्हें अब मिल रहा वेतन और भत्ता दिया जायेगा। श्रेणी (I) के अधिकारी प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे क्योंकि उनका उनके कार्य के साथ स्थानान्तरण किया जा रहा है और उनके कार्य में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। यदि प्रतिनियुक्ति का कोई भी कर्मचारी विशेष करके लेखाकार नये कार्यालय में समाहृत

होने की अनुमति नहीं देता तो उनमें से कुछ को प्रतिनियुक्ति पर रखना आवश्यक हो सकता है क्योंकि उनके स्थान पर उपयुक्त योग्यता और अनुभव वाले व्यक्तियों को नियुक्त कर पाना कठिन हो सकता है। अतः ऐसे कर्मचारी अपनी प्रतिनियुक्ति की अवधि तक जब तक संगठन के कर्मचारियों में से उन्हें प्रतिस्थापित करना संम्भवन हो प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है। भविष्य में भी संगठन में उपयुक्त व्यक्तियों के उपलब्ध न होने की स्थिति में कुछ विशेष योग्यता और अनुभव वाले सरकार के अन्य विभागों के व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति की शर्तों पर रखना आवश्यक हो सकता है।

(ख) श्रेणी (III) में आने वाले कर्मचारियों को उनके उपयुक्त पाए जाने पर सरकारी वेतन और भत्ते पर जांच हो जाने के दो माह के भीतर गठित किए जाने वाले पदों पर समाहृत किए जाने के विकल्प का मौका दिया जायेगा। जो लोग उपयुक्त नही पाये जायेंगे या जो निर्धारित अवधि में अपनी स्वीकृति नहीं देंगे उनकी, लागू नियमों के अधीन उनके पदों को समाप्त कर दिए जाने पर छटनी कर दी जायेगी।

(ग) जिन कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य (प्रोवीडेन्ट फंड) की सुविधा प्राप्त है उन्हें यह सुविधा मिलती रहेगी बशर्ते वे समाहृत होने कि तिथि से तीन माह के अन्दर इसके लिए अपनी स्वीकृति व्यक्त कर देते हैं। इन सुविधाओं के लिए स्वीकृति देने वाले तथा भविष्य में भर्ती किए जाने वाले सभी लोग केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाली पेन्शन सुविधा के लिए ग्राह्य होंगे।

(घ) कर्मचारी सेन्ट्रल पूल से सरकारी आवास के लिए हकदार होंगे और उनकी अर्हता के लिए कन्ट्रोल कार्यालय में नियुक्ति की तिथि से उनकी सेवा नियमित आधार पर स्वीकार की जायेगी।

(ङ) समाहृत होने के बाद कर्मचारियों को अन्य सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं उनके द्वारा की गई सेवा के संदर्भ में सुलभ होंगी और इसके लिए सीमेंट कन्ट्रोल कार्यालय में नियुक्ति की तिथि से उनकी समग्र सेवा हिसाब में ली जायेगी।

सीमेंट नियंत्रक का कार्यालय

केन्द्रीय कार्यालय, नई दिल्ली

क्रम सं०	विद्यमान पदनाम	संशोधित पदनाम	वेतनमान
1	2	3	4
1.	मुख्य सीमेंट अधिकारी	संयुक्त सीमेंट नियंत्रक	1500-60-1800-100-2000 रु० (+) 250 रु० यात्रा भत्ते के रूप में।
2.	उप-मुख्य सीमेंट अधिकारी	उप-सीमेंट नियंत्रक	1300-50-1700रु० (+) 200 रु० यात्रा भत्ते के रूप में
3.	वित्त प्रबन्धक	वित्त अधिकारी	1300-50-1700 रु०
4.	विधि अधिकारी	विधि अधिकारी	1300-50-1700 रु०
5.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	उप-वित्त अधिकारी	1050-50-1600 रु०
6.	सहायक सीमेंट अधिकारी	सहायक सीमेंट अधिकारी	700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 रु०
7.	लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी	840-40-1000-द० रो०-40-1200 रु०
8.	सांख्यिक	अनुसन्धान अधिकारी (सांख्यिकी)	700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300 रु०
9.	निजी सचिव-सह-सहायक कल्याण अधिकारी	सहायक कल्याण-सह-सतर्कता अधिकारी	650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1000 रु०
10.	कार्यालय अधीक्षक	अनुभाग अधिकारी	--वही--
1.	सहायक-सह-खजांची	सहायक-सह-खजांची	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो०-25-800 रु० (+) 30 रु० विशेष वेतन।
2.	सहायक	सहायक	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700-द० रो० 25-800 रु०
3.	वरिष्ठ आशुलिपिक	वरिष्ठ आशुलिपिक	--वही--
4.	उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560 रु०
5.	हिन्दी सहायक	--वही--	--वही--
6.	कनिष्ठ आशुलिपिक	कनिष्ठ आशुलिपिक	--वही--
7.	टेलेक्स आपरेटर	टेलेक्स आपरेटर	260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400- रु० (+) 20 रु० विशेष वेतन।

1	2	3	4
8.	निम्न श्रेणी लिपिक	निम्न श्रेणी लिपिक	260–6–290–द० रो०–6–326–8–366–द० रो०–8–390–10–400 रु०
9.	वरिष्ठ अन्वेषक	वरिष्ठ अन्वेषक	550–25–750–द० रो०–30–900 रु०
10.	लेखाकार	लेखाकार	500–20–700–द० रो०–25–900 रु०
11.	कनिष्ठ अन्वेषक	कनिष्ठ अन्वेषक	425–15–500–द० रो०–15–560–20–700 रु०
12.	डिस्पैच राइडर	डिस्पैच राइडर	260–6–326–द० रो०–8–550 रु०
13.	गेस्टेटनर आपरेटर	गेस्टेटनर आपरेटर	210–4–250–द० रो०–5–270 रु०
14.	दफ्तरी	दफ्तरी	200–3–206–4–234–द० रो०–4–250 रु०
15.	वरिष्ठ चपरासी/जमादार	वरिष्ठ चपरासी/जमादार	–वही–
16.	चपरासी	चपरासी	196–3–220–द० रो०–3–232 रु०
17.	चौकीदार	चौकीदार	–वही–
18.	स्वीपर	स्वीपर	–वही–
19.	माली	माली	–वही–
20.	फराश	फराश	–वही–

(क्षेत्रीय कार्यालय)

क्र० सं०	विद्यमान पद	परिशोधित पद	वेतनमान
1	2	3	4
1.	क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी	क्षेत्रीय सीमेंट नियन्त्रक	रु० 1300–50–1700–(+) रु० 200/- यात्रा भत्ते के रूप में
2.	सहायक क्षेत्रीय सीमेंट अधिकारी	सहायक क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक %	रु० 700–40–900–द० अ०–40–1100–50–1300
3.	कार्यालय अधीक्षक	अनुभाग अधिकारी	रु० 650–30–740–35–810–द० अ०–35–880–40–1000–द० अ०–40–1200 ।
4.	सहायक	सहायक	रु० 425–15–500–द० अ०–15–560–20–700–द० अ०–25–800 ।
5.	वरिष्ठ अन्वेषक	वरिष्ठ अन्वेषक	रु० 550–25–750–द० अ०–30–900 ।
6.	कनिष्ठ अन्वेषक	कनिष्ठ अन्वेषक	रु० 425–15–500–द० अ०–15–560–20–700 ।
7.	वरिष्ठ आशुलिपिक	वरिष्ठ आशुलिपिक	रु० 425–15–500–द० अ०–15–560–20–700–द० अ०–25–800 ।
8.	कनिष्ठ आशुलिपिक	कनिष्ठ आशुलिपिक	रु० 330–10–380–द० अ०–12–500–द० अ०–15–560 ।
9.	निरीक्षक	निरीक्षक	रु० 425–15–500–द० अ०–15–560–20–700–द० अ०–25–800 ।
*10	उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक	रु० 330–10–380–द० अ०–12–500–द० अ–15–560 ।
**11.	निम्न श्रेणी लिपिक	निम्न श्रेणी लिपिक	रु० 260–6–290–द० अ०–6–326–8–376–द० अ०–8–390–10–400 ।

%सहायक क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक गांधीनगर को रु० 100/- प्रतिमास का चार्ज भत्ता दिया जाता है ।

*बम्बई कलकत्ता और मद्रास प्रत्येक में उच्च श्रेणी लिपिक सह खजांची का एक-एक पद जिसका वेतनमान रु० 330–560+रु० 15/- प्रतिमाह रोकड़ कार्य संभालने का विशेष भत्ता है ।

**गांधी नगर में निम्न श्रेणी लिपिक सह-खजांची का एक पद सम्मिलित है जिसका वेतनमान रु० 200–400+रु० 10/ प्रति माह रोकड़ कार्य संभालने का विशेष भत्ता है ।

1	2	3	4
12.	टैलेक्स आपरेटर . . .	टेलैक्स आपरेटर	रु० 260–6–290–द० अ०–6–326–8–366–द० अ०–8–390–10–400, (–) रु० 20/- विशेष भत्ता ।
13.	दफ्तरी	दफ्तरी	रु० 200–3–206–4–234–द० अ०–4–250 ।
14.	†चपरासी . . .	चपरासी	रु० 196–3–220–द० अ०–3–232 ।
15.	फराश	फराश	–वही–
16.	स्वीपर	स्वीपर	–वही–
17.	चौकीदार . .	चौकीदार	–वही–

†साइक्लोस्टाइलिंग कार्य करने के लिए वेतनमान रु० 196–232+रु० 25/- प्रतिमाह के विशेष वेतन में दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता प्रत्येक में चपरासी का एक-एक पद सम्मिलित है ।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)]

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 1976

संकल्प

सं० फ० 15-9/75-यू०-I—भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के पुनर्गठन से संबंधित इस मंत्रालय के संकल्प सं० 15-9/75-यू०-I, दिनाक 18 जुलाई, 1975 मे आंशिक संशोधन करते हुए पुनर्गठित परिषद् की शेष अवधि के लिए, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने हेतु डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन, संयुक्त शिक्षा सलाहकार (संस्कृति) के स्थान पर, श्रीमती जे० अंजनी दयानन्द, संयुक्त सचिव, संस्कृति विभाग को भारत सरकार श्रेणी-VI के अन्तर्गत तुरन्त मनोनीत करती है । भारत सरकार का प्रतिनिधित्व चार व्यक्तियों द्वारा किया जाता है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, 35, फिरोजशाह रोड नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र मे प्रकाशित किया जाए ।

अनिल बोर्दिया, संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 जुलाई 1976

संकल्प

सं० 23-6/76-पी० आर० ई० एम०—संकल्प संख्या 1-3/74-पी० आर० ई० एम०, दिनांक 20 अगस्त, 1975 के आंशिक अशोधन में भारत सरकार एतद्द्वारा श्री के० आर० रामचन्द्रन के स्थान पर श्री एम० एम० राजेन्द्रन, संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, को भारत मे समाज कार्य के विश्व कोष की तैयारी में सहायता देने के लिये गठित की गई सम्पादकीय समिति के एक सदस्य के रूप में नामित करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

आर० के० साहा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई 1976

संकल्प

सं० ई० 11011/25/73-प्रशासन-I/हिन्दी—सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के 24 जून, 1975 के संकल्प संख्या ई० 11011/25/73-प्रशासन-I/हिन्दी जिसके द्वारा सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति का पुनर्गठन किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, "उप महानिदेशक (टेलीविजन), आकाशवाणी" के स्थान पर "महानिदेशक दूरदर्शन" उक्त समिति के सदस्य होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारो और संघ प्रशासित क्षेत्रो के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयो एव विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसद् कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ईश्वर दास, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 5th August 1976

No. 56-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Chandra Sekhar Mukherji,
Sub-Inspector of Police,
District Burdwan,
West Bengal.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

On the 29th December, 1974 at about 1400 Hrs., Shri Chandra Sekhar Mukherji went to Nigha Bazar in District Burdwan to apprehend a notorious dacoit, who was found moving in front of a hotel. As Shri Mukherji approached, the dacoit turned around and fired a shot at Shri Mukherji but luckily the shot missed the target. Shri Mukherji also fired a round from his revolver causing injury to right forearm of the miscreant. The dacoit then ran to a quarter at Nigha Colliery Dhawra and bolted its door from inside. The police party chased him and surrounded the quarter. When despite repeated warnings the dacoit did not come out, Shri Mukherji in disregard of his personal safety, broke open the door and arrested the miscreant who was carrying a loaded revolver.

Shri Chandra Sekhar Mukherji thus exhibited great courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 29th December, 1974.

No. 57-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Manipur Police :—

Names and Ranks of the Officers

Shri Thangjam Karunamaya Singh,
Deputy Commandant,
1st Battalion,
Manipur Rifles,
Imphal.

Shri Adaho Kholi Mao,
Inspector of Police,
Police Department,
Imphal.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

On the 7th February, 1973, a gang of armed hostiles looted a Government jeep carrying about Rs. 97,000/- and decamped with the booty into thick jungles. When the matter was reported to Sub-Inspector Kholi Mao, he registered a case and rushed to the spot with the SDPO Shri Thangjam Karunamaya Singh. On the basis of information they conducted a raid into suspected hideouts of the dacoits and recovered Rs. 10,000/-. Thereafter they were able to recover another Rs. 9,000/-. On 19th February, they received information about the movement of a dacoit gang in a jungle. As there was no time to get reinforcement, both these officers proceeded towards the spot. After walking in the jungle for 3 hours they spotted a group of hostiles resting near a hut. These officers then crawled on their bellies and took the gang by surprise by a sudden charge. Though the dacoits were able to escape they could not succeed in carrying the booty with them. Rs. 70,000/- and some ammunition were recovered from the place where the dacoits were staying.

Shri Thangjam Karunamaya Singh and Shri Adaho Kholi Mao thus displayed conspicuous gallantry, determination and devotion to duty of a very high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th February, 1973.

No. 58-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and Ranks of the Officers

Shri Govardhan Singh,
Sub-Inspector of Police,
23rd Battalion,
Central Reserve Police Force,
Mizoram.

Shri Ambika Nath,
Head Constable,
23rd Battalion,
Central Reserve Police Force,
Mizoram.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

On the 21st July, 1975, information was received about the location of the tactical headquarters of the hostiles. A plan was prepared to raid the place and a Central Reserve Police Force party was sent for this purpose. The point section of the Police column led by Sub-Inspector Govardhan Singh came under automatic fire, causing injuries to Ambika Nath, Head Constable. This, however, did not deter the Police party and they returned the fire. The section although separated from the main body, made a determined charge on the tactical headquarters and recovered 7 automatic weapons, one .303 rifle, 1779 rounds of ammunition and important documents. They also arrested an important underground hostile. Shri Ambika Nath, Head Constable in spite of the bullet injuries sustained also participated in the charge. He got hold of a Bren Gun and opened fire on the hostiles who were forced to fall back and run for their lives.

In this encounter Shri Govardhan Singh and Shri Ambika Nath displayed conspicuous gallantry, indomitable courage and a high sense of devotion to duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 21st July, 1975.

No. 59-Pres/76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ganga Singh,
Constable No. 299,
District Sidhi,
Madhya Pradesh.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

On the 22nd January, 1975, a police party under the leadership of Circle Inspector of Police Station Majhauli was sent to apprehend a dacoit and his associate. On the 25th January, 1975, the two dacoits were traced in a jungle near village Kharpa. Seeing the Police the dacoits tried to escape in a truck. The police chased the dacoits and one of them was captured. The other dacoit ran into the thick forest. In disregard of the risk involved Shri Ganga Singh, chased the dacoit for about one and a half kilometres but when he was about to catch him, the dacoit fired a shot from his country made pistol. The shot missed Shri Ganga Singh who remained undeterred and continued to chase the dacoit and ultimately shot him dead.

In this encounter Shri Ganga Singh, exhibited conspicuous gallantry, exceptional courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th January, 1975.

No. 60-Pres./76.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Nishi Kanta Biswas,
Assistant Sub-Inspector of Police,
Nadia,
West Bengal.

Statement of Services for which the Decoration has been awarded.

Late on the night of 27th August, 1974, Shri Nishi Kanta Biswas, Assistant Sub-Inspector of Police, received an information that some extremists had assembled in a house at Taherpur. Without waiting for the arrival of reinforcement, Shri Biswas rushed to the hide-out of the extremists with a posse of police force available and surrounded the house. The extremists opened fire on the police party which was promptly returned by the police party. The extremists then tried to escape under cover of darkness. Shri Biswas in disregard of his personal safety charged upon the extremists and successfully arrested two of them with arms, ammunition and literature.

In this encounter Shri Biswas exhibited exemplary courage and devotion to duty of a high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 27th August, 1974.

K. BALACHANDRAN,
Secretary to the President

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 27th July 1976

No. 13019/9/76-ANL.—In pursuance of paragraph 3(2), 3(3) and 4(6) of the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 26/3/71-ANL, dated the 24th August, 1972 as amended from time to time, the President is pleased to nominate the following three members to the Advisory Committee in respect of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands for the period ending 31st March 1977 :—

1. Shri Loka of Strait Island,
2. Smt. Mariam of Katchal and
3. Shri Gurubachan Singh Mattu of Great Nicobar.

R. L. PARDEEP, Director.

MINISTRY OF INDUSTRY & CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 22nd July 1976

RESOLUTION

No. 1-16/70-CEM.—Control over price and distribution of cement in the country was reimposed with effect from the 1st January 1968 in terms of the Cement Control Order, 1967 issued under Section 18G and 25 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. For carrying out the distribution functions under the Cement Control Order, the Cement Corporation of India was initially designated as the Cement Controller. As, however, it was held that the Corporation could not be appointed as the Cement Controller because it was neither an Officer nor an authority as contemplated in Section 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, it was decided to appoint the Joint Secretary in the Ministry of Industrial Development dealing with cement industry as the Cement Controller in addition to his normal duties with effect from the 25th September, 1968. For the sake of convenience and in order to avoid dislocation of work, it was also decided that the Cement Corporation might continue to maintain the Cement Regulation Account set up under the Cement Control Order subject to the condition that the officers and other employees entrusted with the accounting work and enforcement of the Cement Control Order would be under the overall control of the Cement Controller and that the Corporation could claim reimbursement of the expenditure incurred on this arrangement. Thus, under this frame, while the officers and staff employed in the Cement Control Division remain functionally under the Cement Controller, they continue to be under the administrative control of the Cement Corporation of India.

2. In the context of the Cement Corporation itself commencing commercial production of cement, the question of separation of the Cement Control Organisation from the administrative control of the Cement Corporation and the status to be given to this organisation have been under consideration of the Government of India for some time. It has now been decided that the Cement Control Organisation should be constituted into a separate entity as a non-participating Attached office of the Government of India with effect from a date to be notified in the Gazette of India separately.

3. The revised designations of posts, scales of pay admissible in the revised set-up, treatment to be accorded to the existing incumbents of the different posts have been detailed in the Annexure.

4. The existing employees who are absorbed in the revised set-up in accordance with the procedures set out in the Annexure will initially constitute the service in the Cement Control Organisation and will be subject to the same rules and regulations as applicable to other Central Government employees of similar categories. Rules for future recruitments will be framed in consultation with the UPSC and these will be generally on the same lines on which recruitment is made in other Government Organisations.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

D. K. SAXENA, Joint Secy.

ANNEXURE

The existing staff of the Cement Control Division, can be broadly grouped into the following categories :—

(i) employees of the Cement Corporation of India posted to the Control Division;

(ii) employees on deputation from other Government departments/Offices;

(iii) other employees employed in the Control Division on a short term contract basis.

The following treatment will be accorded to the various categories of the employees :—

(a) Persons falling in the categories (i) and (ii) above will be taken on deputation and will be asked to exercise their option in favour of Government's scales of pay and other allowances. Since their absorption in the new office will be contingent on screening by the Union Public Service Commission or other appropriate authority, as the case may be, such option may be exercised by the employees within a period of two months after the result of screening is known. Those who do not opt for Government scales will be reverted to their parent organisation, after the expiry of the 2 months period referred to above. During this period, they may be allowed pay and allowances now admissible to them. Officers of category (i) will not be entitled to any deputation allowance as they are being transferred along with the work they are performing and there is no change in the nature of their duties. If any of the deputationist officer or other staff, particularly, Accountants, do not opt for absorption in the new organisation, it may become necessary to continue some of them on deputation, because it may be difficult to replace them with persons of suitable qualifications and experience. Such employees may, therefore, continue on deputation terms till it is possible to replace them with employees from within the

organisation. It may become necessary in future also to draft certain employees of requisite qualifications and experience on deputation terms from other Government Departments if suitable persons are not available within the Organisation.

(b) The persons falling in category (iii) above will be given an option to get absorbed against posts created on Government scales of pay and allowances within a period of two months of their screening provided they are declared fit. Such of them who are not found fit or who do not exercise their option within the prescribed period will have to face retrenchment consequent upon the abolition of the posts held by them under the rules in force.

(c) Such of the employees who are covered by the contributory provident fund benefits will continue to enjoy such benefits in case they opt for the same within a period of 3 months from the date of their absorption. Those not opting for such benefits and all future recruits, will be eligible to the pensionary benefits as admissible to Central Government employees.

(d) The employees will be entitled to Government accommodation from the Central pool and for purpose of eligibility, their entire service on a continuous basis in the Control Organisation will count from the date of appointment.

(e) After absorption the employees will be entitled to get all the benefits for the previous service rendered by them as admissible to other Government employees and for this purpose their entire service in the Cement Organisation will count from the date of appointment.

OFFICE OF THE CEMENT CONTROLLER
(CENTRAL OFFICE AT DELHI)

Sl. No. (1)	*Existing Designation* (2)	*Revised Designation* (3)	*Scale of pay* (4)
1.	Chief Cement Officer	Joint Cement Controller	Rs. 1500—60—1800—100—2000(+) Rs. 250/- as conveyance allowance.
2.	Deputy Chief Cement Officer	Deputy Cement Controller	Rs. 1300—50—1700(+) Rs. 200/- as conveyance allowance.
3.	Finance Manager	Finance Officer	Rs. 1300—50—1700.
4.	Law Officer	Law Officer	Rs. 1300—50—1700.
5.	Senior Accounts Officer	Deputy Finance Officer	Rs. 1050—50—1600.
6.	Assistant Cement Officer	Assistant Cement Controller	Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.
7.	Accounts Officer	Accounts Officer	Rs. 840—40—1000—EB—EB—40—1200.
8.	Statistician	Research Officer (Statistics)	Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.
9.	Private Secretary-cum-Assistant Welfare Officer	Assistant Welfare-cum-Vigilance Officer	Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.
10.	Office Superintendent	Section Officer	Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.
1.	Assistant-cum-Cashier	Assistant-cum-Cashier	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800 (+) Rs. 30/- Spl. Pay.
2.	Assistant	Assistant	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.
3.	Sr. Stenographer	Sr. Stenographer	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.
4.	Upper Division Clerk	Upper Division Clerk	Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.
5.	Hindi Assistant	Upper Division Clerk	Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.
6.	Jr. Stenographer	Jr. Stenographer	— do —
7.	Telex Operator	Telex Operator	Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400 (+) Rs. 20/- Spl. Pay.
8.	Lower Division Clerk	Lower Division Clerk	Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.
9.	Sr. Investigator	Sr. Investigator	Rs. 550—25—750—EB—30—900.
10.	Accountant	Accountant	Rs. 500—20—700—EB—25—900.
11.	Jr. Investigator	Jr. Investigator	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700.
12.	Despatch Rider	Despatch Rider	Rs. 260—6—326—EB—8—350.
13.	Gestetner Operator	Gestetner Operator	Rs. 210—4—250—EB—5—270.
14.	Daftry	Daftry	Rs. 200—3—206—4—234—EB—4—250.
15.	Sr. Peon/Jamadar	Sr. Peon/Jamadar	— do —
16.	Peon	Peon	Rs. 196—3—220—EB—3—232.
17.	Chowkidar	Chowkidar	— do —
18.	Sweeper	Sweeper	— do —
19.	Mali	Mali	— do —
20.	Farash	Farash	— do —

(REGIONAL OFFICES)

Sl. No. (1)	Existing Designation (2)	Revised Designation (3)	Scale of Pay (4)
1.	Regional Cement Officer	Regional Cement Controller	Rs. 1300—50—1700, (+) Rs. 200/- as conveyance allowance.
2.	Asstt. Regional Cement Officer	Asstt. Regional Cement Controller	£ Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.
3.	Office Superintendent	Section Officer	Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.
4.	Assistant	Assistant	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.
5.	Sr. Investigator	Sr. Investigator	Rs. 550—25—750—EB—30—900.
6.	Jr. Investigator	Jr. Investigator	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700.
7.	Sr. Stenographer	Sr. Stenographer	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.
8.	Jr. Stenographer	Jr. Stenographer	Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.
9.	Inspector	Inspector	Rs. 425—15—500—EB—15—560—20—700—EB—25—800.
10.	*Upper Division Clerk	Upper Division Clerk	Rs. 330—10—380—EB—12—500—EB—15—560.
11.	**Lower Division Clerk	Lower Division Clerk	Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400.
12.	Telex Operator	Telex Operator	Rs. 260—6—290—EB—6—326—8—366—EB—8—390—10—400. (+) Rs. 20/- Spl. Pay.
13.	Daftry	Daftry	Rs. 200—3—206—4—234—EB—4—250.
14.	@Peon	Peon	Rs. 196—3—220—EB—3—232.
15.	Farash	Farash	— do —
16.	Sweeper	Sweeper	— do —
17.	Chowkidar	Chowkidar	— do —

£ A charge allowance of Rs. 100/- p.m. is paid to A.R.C.C., Gandhinagar.

* Includes one post each at Bombay, Calcutta & Madras of UDC-cum-Cashier in the scale of Rs. 330—560+Rs. 15/- p.m. spl. allowance for handling cash.

** Includes one post of LDC-cum-Cashier at Gandhinagar in the Scale of Rs. 260—400+Rs. 10/- p.m. spl. allowance for handling cash.

@ Includes one post each at Delhi, Bombay, Madras and Calcutta of Peon in the scale of Rs. 196—232+Rs. 25/- p.m. as spl. allowance for doing cyclostyling work.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 20th July 1976

RESOLUTION

No. F. 15-9/75-U.1.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. F. 15-9/75-U.1 dated the 18th July 1975 regarding the reconstitution of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, the Government of India nominate Smt. J. Anjani Dayanand, Joint Secretary, Department of Culture, to represent Government of India with immediate effect, for the unexpired period of the term of the reconstituted Council in place of Dr. (Mrs) Kapila Vatsyayan, Joint Educational Adviser (Culture) under category VI: Four persons to represent Government of India.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANIL BORDIA, Joint Secy.

(DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE)

New Delhi-110001, the 26th July 1976

RESOLUTION

F. No. 23-6/76-PREM.—In partial modification of Resolution No. 1-3/74-PREM dated the 20th August, 1975, the Government of India hereby nominate Shri M. M. Rajendran, Joint Secretary, Department of Social Welfare *vice* Shri K. R. Ramachandran, as member of the Editorial Committee constituted to assist the preparation of Encyclopaedia of Social Work in India.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

R. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 22nd July 1976

No. E-11011/25/73-Admn.I/Hindi.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. E. 11011/25/73-Admn. I/Hindi dated 24th June 1975 reconstituting the Soochana aur Prasaran Hindi Samiti, "Director General, Doordarshan" will be the member of the said Samiti in place of "Deputy Director General (T.V.), All India Radio."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territories Administrations, all Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General and Accountant General, Central Revenues.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ISHWAR DASS, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976